

संख्या: ८७ /X-4-15/1(25)/2015

प्रेषक,

पी०के०पाठो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख बन संस्कार/नोडल अधिकारी,
बन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

बन एवं पर्यावरण अनुमान-4

देहरादून: दिनांक: २० मार्च, 2015

विषय: जनपद-रुद्रप्रयाग के अंतर्गत अलकनन्दा नदी पर ८५ मी० रुपान निवाली-धारकोट झूलापुल के निर्माण हेतु ०.३, हे० बन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2296/FP/UK/OTHERS/8940/2014 दिनांक 18 फरवरी, 2015 के सन्दर्भ में नम्बे यह कहने का निवेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद रुद्रप्रयाग (आपदाग्रस्त जिला श्रेणी शूद्री में निर्धारित) में जनपद-रुद्रप्रयाग के अंतर्गत अलकनन्दा नदी पर ८५ मी० रुपान निवाली-धारकोट झूलापुल के निर्माण हेतु ०.३, हे० बन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की रीद्वानिक रूपीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय के पत्र संख्या ए००००-११-०९/९८-ए०० सी० ०७ नवम्बर, 2014 में निहित प्रायोगिकों द्वारा प्रवत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिवर्त्यों के अधीन प्रदान करते हैं-

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या (100) में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०१०००-५६६ एवं भारत सरकार पत्र सं०५-३/२००७-ए००१०० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुराग शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- भारत सरकार पत्र सं०५-३/२००७-ए००१०० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-ए००वी०- 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फैज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई०१०००-५६६ एवं भारत सरकार पत्र सं०५-३/२००७-ए००१०० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फैज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आव्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार पिघण अर्थात् एन०पी०वी०, शतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण-तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत रूपीकृति मान्य होगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्थानियों एवं मू-वैज्ञानिक के सुझावों का कालाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निष्पत्ति शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

मवदीय

(पी.कौषांत्री)
अपर सचिव।

संख्या: ८९ (१) / X-4-15 / १(२५) / २०१५, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संस्कार (फेन्डीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बोत्रीय कार्यालय, एफआर० आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संस्कार गढ़वाल गृह, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6. प्रभारीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
7. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड पार्किंग।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।